सी.एच.आर.

मानव अधिकार में सर्टिफिटेक कार्यक्रम

(सी.एच.आर.)

CHR-11 मानव अधिकार – विकास, अवधारणाएँ तथा चिंताएँ

CHR-12 भारत में मानव अधिकार

अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य

(जनवरी 2019 एवं जुलाई 2019)

विधि विद्यापीठ
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विष्वविद्यालय
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली – 110068

मानव अधिकार में सर्टिफिटेक कार्यक्रम
(सी. एच. आर.)

प्रिय विद्यार्थीगण,

विश्वविद्यालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार, आपको चयनित किए गए प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए एक सत्रीय कार्य करना होगा।

प्रत्येक सत्रीय कार्य के प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों, 300 शब्दों और 150 शब्दों में देने हैं। आप पाएँगें कि सत्रीय कार्यों में प्रश्न विश्लेषित और वर्णनात्मक हैं जिससे आप इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसकी अवधारणा को सम्मिलित कर सकते हैं।

यह महत्वपूर्ण है कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर अपने ही शब्दों में लिखें। आपके उत्तर प्रत्येक प्रश्न के अनुसार निश्चित शब्द–सीमा की लगभग श्रेणी के अंदर ही होने चाहिए। याद रखिए, सत्रीय कार्यों के प्रश्नों के उत्तर देने से आपकी लिखने के कौशल में सुधार आएगा और सत्रांत परीक्षा की तैयारी भी कर सकेंगे।

जमा करना

सत्रीय कार्यों को पूरा करके इसे अपने **अध्ययन केन्द्र के संचालक** के पास भेज दें। अध्ययन केन्द्र में सत्रीय कार्य को भेजने के बाद निर्धारित प्रेषण और पावती कार्ड पर अध्ययन केन्द्र के संचालक से प्राप्ति की सूचना ले लें। सत्रीय कार्य के जो उत्तर आप अपने अध्ययन केन्द्र के संचालक को देते हैं, उसकी एक प्रति अपने पास रिकॉर्ड के लिए रख लें।

एक बार जाँच होने के बाद अध्ययन केन्द्र आपको जाँच किया गया अध्यापक जाँच सत्रीय कार्य वापस कर देगा। इसके लिए उसको आग्रह कीजिए। अध्ययन केन्द्र आपके अंक विद्यार्थी मूल्यांकन प्रभाग, इग्नू, नई दिल्ली को भेज देगा।

सत्रांत परीक्षा में बैठने के लिए आपको सत्रीय कार्य निम्न के अनुसार जमा कराने होंगे।

जनवरी 2019 सत्र के लिए – 31 मार्च 2019 तक

जुलाई 2019 सत्र के लिए – 30 सितम्बर 2019 तक

सत्रीय कार्य करने के लिए कुछ दिषा–निर्देष

हम आशा करते हैं कि आप प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सत्रीय कार्य में दिए गए निर्देशों के अनुसार देंगे। निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखना आपके लिए लाभप्रद होगा।

1) **योजनाः** सत्रीय कार्य को ध्यान से पढ़ें, और इकाईयों को ध्यानपूर्वक पढ़ें जिनपर वे आधारित हैं। प्रत्येक प्रष्न के लिए कुछ बिन्दु बनाएँ और उनको तर्क के आधार पर पुनः व्यवस्थित करें।

2) **संगठनः** अपने उत्तर की कच्ची रूपरेखा तैयार करें जिससे आप कुछ बिन्दुओं को चुन सकते हैं और उनको विश्लेषित कर सकते हैं। प्रश्न की प्रस्तावना और निष्कर्ष पर उचित ध्यान दें।
   यह निश्चित करें किः
   क) उत्तर तर्क–आधारित और सुसंगत है।
   ख) वाक्यों और अनुच्छेदों के बीच स्पष्ट संबंध है।
   ग) आपकी अपनी अभिव्यक्ति और शैली के अनुसार प्रस्तुति सही है।

3) **प्रस्तुतिः** एक बार जब आप अपने उत्तर से संतुष्ट हैं तो जमा कराने के लिए उसका अंतिम रूपांतरण लिख सकते हैं। **यह आवष्यक है कि सभी सत्रीय कार्य आपकी अपनी लिखाई में सफाई से लिखे हों।** यदि आप चाहते हैं तो मुख्य बिन्दुओं को रेखांकित कर सकते हैं। यह निश्चित करें कि उत्तर निश्चित शब्द सीमा के अंतर्गत हैं।

शुभकामनाओं के साथ,

समन्वयक,
मानव अधिकार षिक्षा, इग्नू, नई दिल्ली

पाठ्यक्रम कोडः सीएचआर–11
सत्रीय कार्य कोडः सीएचआर–11/एएसटी/टीएमए/2019
कुल अंकः 100

भाग–।

निम्नलिखित में से दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंक निर्धारित हैं। (2× 20 = 40)

1. आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 में सम्मिलित विविध अधिकारों की चर्चा कीजिए। इन अधिकारों की सीमाएं क्या हैं।
2. मानव विकास की दृष्टि से भोजन का अधिकार बुनियादी क्यों है। भोजन के अधिकार के संबंध में महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) प्रपत्रों की चर्चा की कीजिए।
3. वर्तमान अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक व्यवथा के तहत राज्य प्रभुसत्ता एवं मानव अधिकारों के संबंधों की जाँच कीजिए।
4. शरणार्थी कौन कहलाते हैं। किस किस्म के उत्पीड़न के तहत व्यक्ति शरणार्थी की स्थिति प्राप्त कर सकता है।

भाग–।।

निम्नलिखित में से चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

(4 × 10 = 40)

5. मानवाधिकार क्या है। मानव अधिकार संबंधी सिद्धांतों के विकास में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए।
6. अंदरूनी आत्म निर्धारण से आप क्या समझते हैं।
7. वियना कांग्रेस(1993) के उद्देष्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए।
8. चौथा विश्व महिला सम्मेलन (बीजिंग 1995) के महत्वपूर्ण परिणामों की चर्चा कीजिए।
9. वैश्वीकरण की वहज से मानवाधिकारों से जुड़ी चुनौतियों की चर्चा कीजिए।
10. जेनेवा कन्वेंषन के उद्देष्यों पर नोट लिखिए।

भाग–।।।

निम्नलिखित में से चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।

(4 × 10 = 40)

11. आश्रय का अधिकार
12. मानव अधिकारों की सुरक्षा हेतु यूरोपियाई कन्वेंषन (ईसीएचआर)
13. आईसीसीपीआर के तहत कार्यान्वयन तंत्र
14, एकजुटता के अधिकार
15, मूल निवासियों के अधिकार
16, हुमेन राईट वॉच

पाठ्यक्रम कोडः सीएचआर–12
सत्रीय कार्य कोडः सीएचआर–11/एएसटी/टीएमए/2019
कुल अंकः 100

भाग–।

निम्नलिखित में से दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 600 शब्दों में दें। प्रत्येक प्रश्न के 20 अंकों का हैं।

1. न्यायिक समीक्षा से आप क्या समझते हैं। मानव की सुरक्षा में इनका क्या महत्व है।
2. भारत में भक्ति एवं सूफी आंदोलनों के दौरान मानव अधिकार से उभरी छवि के अनुरूप इसके विचार की उत्पत्ती का विश्लेशण कीजिए।
3. भारत में छुआछूत एवं सामाजिक बहिष्कार की समस्या की प्रकृति का वर्णन कीजिए। संविधान के तहत इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है।
4. राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के प्रकार्यों एवं भूमिका पर निबंध लिखिए।

भाग–।।

निम्नलिखित में से चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 300 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है।

5. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत प्रदत्त त्रि–स्तरीय निवारण तंत्रों की चर्चा कीजिए।
6. महिलाओं की गिरफ्तारी एवं इनकी हिरासत की स्थिति मतें, ध्यान में रखने योग्य दिशा–निर्देशों का वर्णन कीजिए।
7. एफअईआर क्या है। एफआईआर दर्ज कराते मसय ध्यान में रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु क्या है।
8. घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम(2005) के तहत प्रदत्त तंत्र का वर्णन कीजिए।
9. मानव अधिकारों की सुरक्षा में मीडिया क्या भूमिका निभा सकता है।
10. जनजातीय अस्मिता की सुरक्षा हेतु सांविधानिक प्रावधानों की चर्चा कीजिए।

भाग–।।।

निम्नलिखित में से चार प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है।

11. मूलभूत कर्तव्य
12. राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (एनसीपीसीआर)
13. किशोर न्यायिक व्यवस्था
14. अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007
15. धर्म चुनने की स्वतंत्रता
16. मानवाधिकार एंव आतंकवाद